

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक-314 / FP/UK/ROAD/9407/2015 देहरादून:दिनांक: 28 जुलाई, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर मध्य-क्षेत्र)
25, सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:-जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मेन्दोली-परिन्दा-बौंठा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.80 हे० वन भूमि का
गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल संख्या-FP/UK/ROAD/9407/2015)

सन्दर्भ:-भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यूसीपी/06/84/2015/एफ0सी0/1451 दिनांक 09-12-2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का
सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति
निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के पत्रांक 180/12-1 दिनांक 13-07-2018 (प्रति संलग्न)
द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.60 हे० ग्राम-दावड़ सिविल सोयम भूमि
पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू० 09,11,995.00 ऑनलाईन चालान के
माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम दावड़ सिविल
सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया गया है। ग्राम दावड़ सिविल सोयम भूमि के म्यूटेशन किये गये
अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रू० 15,21,000.00 ऑनलाईन चालान
के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से
अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार जमा की गयी कुल धनराशि रू० 24,32,995.00 के
रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव है सड़क के
दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip
Plantation की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)
6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित परियोजना के संशोधित जियो रेफिरेन्स एवं डिजिटल
मानचित्र की हार्ड मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-5)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत
किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या:- / FP/UK/ROAD/9407/2015 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक